वित्तीय स्वीकृति 2020-21

संख्या-01/2021/460/बावन-2-2021-2(1)/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,

लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये वसीका कार्यालय लखनऊ के ब्याज अदायगियों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1.80 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 0.90 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3077/अ0स0क0नि0-13/लेखा/ बजट-प्रावि/2020 -2021, दिनांक 04.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-66/2020/1182/बावन-1-2020-2(1)/2019 दिनांक 16-09-2020 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 0.90 लाख निर्गत की गयी थी। अतएव वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 के क्रम में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार वसीका कार्यालय लखनऊ के ब्याज अदायगियों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 1.80 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत द्वितीय किश्त के रूप में रू0-0.90 लाख (रू0 नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति को अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) एकमुश्त व्यवस्था के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(2) प्र0वि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीक़त नहीं की गयी है।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्र0वि0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्र0वि0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) प्र0वि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक- 2049-ब्याज अदायगियॉ-03-अल्पबचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-107-न्यासों तथा धर्मादायों पर ब्याज-03-विशेष ऋणों पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश (भारित) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहा है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या-01 /2021/460(1)/52-2-2021-2(1)/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वसीका अधिकारी, वसीका कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1,3,4
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।